झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0 एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांक:–परि०आ०–241/2019..........2013....../ राँची, दिनांक:–..24.08.2020

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड ।

विषय:–प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना एवं Onboarding हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना/नवीकरण हेतु Online विहित शुल्क के साथ आवेदन समर्पित किये जाने के पश्चात परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत झारखण्ड मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम 225–घ के तहत प्रतिभूति शुल्क रू 10000/– (रू दस हजार) के रूप में NSC को परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के नाम से Pledge कराकर 15 दिनों के अन्दर जमा करने के शर्त पर अनुज्ञप्ति निर्गत की जा रही है।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञप्ति में दिये गये शर्त के आलोक में प्रतिभूति शुल्क रू 10000/– का NSC ससमय जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त प्रदूषण जाँच केन्द्र को VAHAN-4 पर Online की कार्रवाई लंबित रहती है। यह भी पाया गया है कि Online PUC Portal में प्रतिभूति शुल्क Online जमा करने का विकल्प/सुविधा नहीं होने के कारण प्रदूषण जाँच केन्द्र का अनुज्ञप्ति ससमय निर्गत नहीं किया जा रहा है। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक द्वारा प्रतिभूति शुल्क जमा किये जाने संबंधी तथ्य को जाँच किये बिना Onboarding हेतु प्राप्त आवेदन को अग्रसारित किया जा रहा है, जिसके कारण कई आवेदन अनावश्यक लंबित रहते हैं।

ध्यातव्य है कि झारखण्ड मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम 252–घ में निम्न प्रावधान है:–

"इस तरह का कोई आवेदन विचारित नहीं होगा जिसके साथ राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित रीति से दो हजार रूपये (सम्प्रति रू 10000/–) शुल्क का भुगतान एवं प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के मामले में दस हजार रूपये (रू 10000/–) की प्रतिभूति जमा करने के प्रमाण में प्राप्ति रशीद संलग्न नहीं होगा।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु Online PUC Portal में प्रतिभूति शुल्क जमा करने की सुविधा नहीं होने एवं प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने के उद्देश्य से प्रतिभूति शुल्क के रूप में रू 10000/– का NSC के स्थान पर आवेदन के समय ही SBI COllect के माध्यम से "Office of Transport Commissioner, Ranchi" के नाम से निर्गत चालान/रशीद की प्रति संलग्न/जमा किया जाना है।

उक्त के आलोक में प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. Online PUC Portal के माध्यम से ही आवेदक द्वारा आवेदन एवं शुल्क समर्पित किया जायेगा।
2. आवेदन के साथ निम्न कागजातों को Online upload किया जायेगा।
   i. अधिष्ठापित उपकरणों का Tax Invoice, AMC, Calibration प्रमाण पत्र।
   ii. पेट्रोल पम्प की स्थिति में FORM-IV (DTO License), नये पेट्रोल पम्प के लिये संबंधित तेल कम्पनी द्वारा निर्गत LOI अथवा निजी प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थिति में Lease/Rent Agreement/स्वामित्व से संबंधित कागजात।
   iii. तकनीकी कर्मी का योग्यता प्रमाण पत्र Mechanical/Automobile/ Electrical Engineering/ITI में डिप्लोमा/डिग्री का प्रमाण पत्र।
   iv. आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र (Aadhar Card/ Voter ID/PAN Card/ Driving License or Any other proof)
   v. प्रतिभूति शुल्क के रूप में रू 10000/– का SBI Collect से "Office of Transport Commissioner, Ranchi" के नाम से निर्गत चालान/रशीद की प्रति।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं सभी वांछित कागजातों के जाँचोपरांत संबधित जाँच केन्द्र का अनुशंसा सहित जाँच प्रतिवेदन Online PUC Portal पर Upload करते हुए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी अथवा मोटरयान निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।

वैसे प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्तिधारी/आवेदक जिनके द्वारा अभी तक प्रतिभूति शुल्क के रूप में रू 10000/– का NSC जमा नहीं किया गया है, वे प्रतिभूति शुल्क के रूप में रू 10000/– का NSC अथवा SBI Collect के माध्यम से Online चालान/रशीद भी जमा कर सकते हैं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

24/08/2020

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–परि०आ०–241/2019....2013..../ राँची, दिनांकः–24.08.2020

प्रतिलिपि–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप Software में आवश्यक संशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

24/08/2020

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–परि०आ०–241/2019....2013..../ राँची, दिनांकः–24.08.2020

प्रतिलिपि–श्री मनोज कुमार, अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/PMU, परिवहन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। PMU कोषांग को निदेश दिया जाता है कि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

24/08/2020

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची